T010632691037

अति आवश्यक/अविलम्बनीय

संख्या-295 ई-2/तेरह-2001-1/2001

प्रेषक,

सुनील कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आबकारी अनुभाग-2 　　　　　　　　　　लखनऊ::दिनांक 3 फरवरी, 2001.

विषय:- आबकारी वर्ष 2001-2002 के लिये नयी आबकारी नीति का निर्धारण।

महोदय,

कृपया, सचिव आबकारी को सम्बोधित, उपर्युक्त विषयक अपने अर्द्धशासकीय पत्रांक/आबकारी नीति, दिनांक 5 जनवरी, 2001 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आबकारी वर्ष 2001-2002 के लिये आबकारी दुकानों के व्यवस्थापन हेतु शासन द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं:-

(1) मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन अधिकार एवं निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क प्रणाली के आधार पर किया जायेगा।

(2) दुकानों की न्यूनतम फीस नगरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग, स्थानीय निकाय क्षेत्र के आधार पर, निर्धारित की जायेगी।

(3) प्रदेश में मदिरा की दुकानों की कुल संख्या में वित्तीय वर्ष 2001-02 में कोई वृद्धि नहीं की जायेगी परन्तु यथा आवश्यकता क्षेत्र विशेष के अन्तर्गत दुकानों के स्थान में यथा-नियम परिवर्तन किया जा सकेगा।

(4) प्रदेश में प्रतिवर्ष देशी मदिरा के लगभग 150 करोड़ पॉली पाउच फेंके जाने से भूदा व जल प्रदूषण के साथ ही साथ सम्पूर्ण पर्यावरण प्रभावित हो रहा है तथा पशुओं की मृत्यु की घटनायें भी हो रही हैं। अतः पॉली पाउच के सामाजिक दुष्परिणामों के दृष्टिगत पॉली पाउच में मदिरा की बिक्री को पूर्णतया बन्द किया जाना आवश्यक है, परन्तु इतनी बड़ी संख्या में कांच की बोतलों की [illegible] भराई क्षमता के कारण पॉली पाउच को तत्काल समाप्त किये जाने में व्यावहारिक कठिनाई है। अतः पॉली पाउच का प्रचलन चरणबद्ध ढंग से समाप्त किया जाना अधिक व्यावहारिक होगा। प्रस्तावित है कि प्रथम चरण में आगामी वित्तीय वर्ष में 1 अप्रैल, 2001 से देशी मदिरा की 50 प्रतिशत आपूर्ति कांच की बोतलों में तथा शेष पॉली पाउच में की जाय। वर्ष के दौरान जैसे-जैसे अतिरिक्त बोतलें तथा आसवनियों में बोतल भराई क्षमता उपलब्ध होती जायेगी पाउच में आपूर्ति को वर्ष के अन्त तक पूरी तरह समाप्त कर दिया जायेगा।

(5) आबकारी राजस्व का मुख्य स्रोत उपभोग आधारित अधिकार से प्राप्त होगा अतः अधिकार व अनुज्ञापन शुल्क की दरों को इस प्रकार निर्धारित किया जायेगा जिससे कि उपभोग के आधार पर आगामी वर्ष में राजस्व में उत्तरोत्तर अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

16। अधिभार की चोरी तथा मदिरा की तस्करी को रोकने के लिये मदिरा की बोतलों पर आबकारी विभाग का कम्प्यूटरकृत होलोग्राफिक स्टीकर लगाया जायेगा तथा आसवनियों से मदिरा की निकासी सम्पूर्ण देय अधिभार के भुगतान के उपरान्त ही की जायेगी।

17। अन्य प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में मदिरा की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रदेश में बिकने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा की बोतल भराई प्रदेश के भीतर ही किये जाने को प्रोत्साहित किया जायेगा तथा प्रदेश के बाहर की आसवनियों को केवल प्रीमियम एवं सुपर प्रीमियम ब्राण्डों की बिक्री हेतु ब्राण्ड की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।

18। मदिरा की अधिकतम फुटकर बिक्री दर निर्धारित की जायेगी और उसे मदिरा की बोतल पर अंकित किया जायेगा।

19। मदिरा पर लगने वाले व्यापार कर को अधिभार में समायोजित कर दिया जायेगा तथा अधिभार की दर इस प्रकार निर्धारित की जायेगी जिससे कि व्यापार-कर को जोड़कर सम्पूर्ण राजस्व की धनराशि को सुरक्षित रखा जा सके तथा राजस्व में भी समानुपातिक वृद्धि मिलती रहे।

3- अतः उपरोक्तानुसार नयी आबकारी नीति लागू किये जाने से सम्बन्धित अधिनियमों/नियमों, कार्यकारी आदेशों के संशोधन का आलेख (हिन्दी एवं अंग्रेजी) तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।